संख्या-4/2024/1534/77-4-24-706/23

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,

नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0,

गौतमबुद्धनगर।

औद्योगिक विकास अनुभाग- 4   लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2024

विषयः-डिपो स्टेशन से एम.एम.टी.एच. बोडाकी साइट तक एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार परियोजना के डीपीआर (लम्बाई 2.6 किलो मीटर, अनुमानित लागत रू० 416.34 करोड़) पर अनुमोदन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-एन.एम.आर.सी./प्र.नि./फा.सं.-टी-104/2023/3012, दिनांक 01.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में डिपो स्टेशन से एम.एम.टी.एच. बोडाकी साइट तक एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार परियोजना के डीपीआर (लम्बाई 2.6 किलो मीटर, अनुमानित लागत रू० 416.34 करोड़) पर अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा परियोजना के 20 प्रतिशत भाग के वित्त पोषण हेतु इस मद में लेखा शीर्षक आवंटित कराते हुए बजट का प्राविधान किया जाएगा।

(2) डी.पी.आर. को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार उनकी मंजूरी और वित्त पोषण के लिए भारत सरकार को भेजा जाएगा।

(3) भू-राजस्व से संबंधित अधिनियमों/ नियमों/शासनादेशों में प्रचलित विधियों एवं समय-समय पर दिये गये मा0 न्यायालयों के आदेशों एवं उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित अथवा अन्य सुसंगत राजस्व विधि में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत प्राख्यापित कन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन रूल्स, 2016 तथा कमीशन फार एअर क्वालिटी मैनेजमेंट इन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एनसीआर एण्ड एडज्वाइनिंग एरियाज द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं वायु गुणवत्ता खराब होने पर ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (GRAP) निर्देश संख्या-75 के अंतर्गत जारी प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अवस्थापना एवं
औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या-1534(1)/77-4-24तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन।
2. विशेष कार्याधिकारी (यू.टी.), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।